हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
अपील संख्या 14/2020 बअनवान हेमीदेवी वगै. बनाम छैलकंवर वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

-:निर्णय:-

पीठासीन अधिकारी:-नखतदान बारहठ आर.ए.एस.

दिनांक:-19.01.2022

उपस्थिति:-

1.अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाश एन. नारायण एवं श्री बालाराम गोदारा उपस्थित।

2.रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री नरपत पूनड़ उपस्थित।

राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2015 बअनवान श्रीमती छैलकंवर बनाम मनोहरसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2020 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 05.03.2022 को पेश हुई।

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर अवकाश पर होने से पत्रावली प्रथम लिंक अधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने पत्रावली पर बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा डाक विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत करते हुए अपीलांटगण के सम्मन अपीलांटगण को नहीं दिये गये जबकि मुख्य बात यह है कि अपीलांटगण के नाम से तो रजिस्टर्ड डाक से भी सम्मन भेजे तक नहीं गये तथा अपीलांटगण के नाम से रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजने की डाक रसीद या डाक प्राप्ति की रिर्पोट आदि भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता संख्या 01 के दबाव में रहते हुए अपीलांटगण को सम्मन भेजे तक नहीं है। हस्तगत वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज हो गया तथा दिनांक 07.10.2019 को पुनः बरामद करने के पश्चात अपीलांट को कोई नोटिस व्यक्तिगत, डाक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

या अन्य किसी प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटगण की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। वादीनी द्वारा मृतक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 10 के वारे में कोई सूचाना व मृतक के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का कोई प्रार्थना–पत्र जानवूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया तथा जानवूझकर मृतक पक्षकार के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री जारी करवा दी है। वादीनी द्वारा जिस दिन वाद पेश किया गया था उस दिन राजस्व रेकर्ड में अंकित समस्त खातेदारों को पक्षकार तक नहीं वनाया गया है, क्योंकि खसरा संख्या 237, 334/237 मौजा जोराणियों की ढाणी में खातेदार के रूप में वागाराम पुत्र रायमलराम व पूनमाराम पुत्र वागाराम दर्ज थे परन्तु वादीनी ने जानवूझ कर पूनमाराम को इस वाद में पक्षकार तक नहीं वनाया गया है तथा एक रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार वनाये विना व उन्हें सुनवाई का अवसर दिये विना ही एकपक्षीय डिक्री जारी करवाई गई है तथा वादीनी द्वारा पक्षकारों का कुसंयोजन कर वाद पेश किया है जो किसी भी दशा में पोषणीय नहीं था। वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में अपीलांटगण का वर्षो से कब्जा, रहवास, पक्की ढाणिया, पशुवाडे आदि बने हुए है जो विगत 35 वर्षों के वाद से लगातार चला आ रहा है तथा वादीनी का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है, इस संवंध में अधीनस्थ न्यायालय को मौके की जांच व मौका रिपोर्ट तलव किया जाना अति आवश्यक था। अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांटगण के कब्जा काश्त में दखल पैदा की जा रही है अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपील पर वहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम सम्मन भिजवाये गये। वावजूद सूचना अपीलांटगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंट/वादीनी को तंग व परेशान करने के लिए पेश की गई। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के आवेदन पर निर्णय करना उचित होगा। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 बागाराम पुत्र रामयलराम निर्णय के पूर्व ही फौत हो चुका था परन्तु उतरदाता संख्या 1 ने मृतक की सूचना न्यायालय को नहीं दी है तथा न ही संशोधित वाद शीर्षक पेश किया, साथ ही वाद प्रस्तत करने के समय अपीलांट संख्या 3/1 पूनमाराम पुत्र बागाराम वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 237, 334/237 रकबा 120.01 बीघा मौजा जोराणियों की ढाणी में रेकर्डेड खातेदार होने के बावजूद भी उतरदाता संख्या 1 ने जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि अपीलांट वाद प्रस्तुति के समय ही अपीलाधीन आराजी में उसके हक हकूक निहित थे। हस्तगत वाद में अपीलांटगण हितवद्ध एवं पिड़ित पक्षकार है। अतः अपीलांटस का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि वादीनी द्वारा वाद पेश करते वक्त जो पक्षकार प्रकरण में हितवद्ध एवं प्रभावित पक्षकार थे उन समस्त खातेदारों को

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया बावजूद सूचना अपीलांटस न्यायालय में हाजिर नहीं होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्रि पारित की गई। अतः अपीलांटस को अपील पेश करने की अनुमति नहीं दी जावे।

उभयपक्ष के अधिववताओं की प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 96 पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रतिवादी संख्या 10 मृतक बागाराम पुत्र रामयलराम के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया। अपीलांटगण हस्तगत अपील में हितबद्ध एवं पीड़त पक्षकार है। अपील को तकनीकी बिंदु पर खारिज करने की बजाय उसको गुणावगुण पर निपटाना न्यायोचित है। अतः अपीलांटस का आवेदन 96 स्वीकार किया जाता है तथा अपील पेश करने की अनुमति दी जाती है।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष मामले में गुणावगुण पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की सम्यक तामील नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक बागाराम पुत्र रामयमलराम (मृत्यु दिनांक 31.10.2018) के विरूद्ध पारित किये जाने से भी विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट संख्या 3/1 पूनमाराम पुत्र बागाराम वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 237, 334/237 रकबा 120.01 बीघा मौजा जोराणियों की ढाणी में वक्त दावा प्रस्तुति बालिग का और रेकर्डेड खातेदार होने के बावजूद भी उतरदाता संख्या 1 ने जानबूझकर उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्रि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री बाद परीक्षण विधिक दृष्टि से त्रुटि पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
अपील संख्या 14/2020 बउनवान हेमीदेवी वगै. बनाम छैलकंवर वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दृष्टिगोचर होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील अंशत स्वीकार कर मामला रिमाण्ड करने योग्य ठहरता है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर वायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2015 बउनवान श्रीमती छैलकंवर बनाम मनोहरसिंह वगै. में पारित निर्णय व डिक्रि दिनांक 11.02.2020 को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर वायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 3/1 पूनमाराम पुत्र बागाराम वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 237, 334/237 के खातेदार को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाकर हितबद्ध समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के प्रावधानों के अनुसार दावे की विचारण की संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही को पूर्ण करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2022 को पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

19/1/2022

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर